मोहम्मद मसूद अहमद

बनाम

उत्तर प्रदेश एवं अन्य

18 सितंबर, 2007

(सी.के.ठक्कर एवं मार्कंडेय काट्जू, जस्टिस)

सेवा नियम:

स्थानांतरण - लोक सेवक का स्थानान्तरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर। आरोप है कि स्थानांतरण विधायक के कहने पर हुआ है। इसमें हस्तक्षेप कर यह प्रतिपादित किया गया है कि स्थानान्तरण सेवा की आवश्यकता है और प्रशासनिक नियम है। लोक सेवक एक स्थानान्तरणीय पद पर था जिसका स्थानान्तरण आदेश विधायक की अनुशंसा पर होने से अपने आप में दूषित नहीं होता। यह मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने सही रूप से मामले में स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया।इस प्रकार उच्च न्यायालय ने स्थानांतरण के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया. भारतीय संविधान 1950 अनुच्छेद 226।

अपील को विचार में लेने के लिए यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या उच्च नयायालय ने सही रूप से अपीलांट अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद द्वारा दायर रिट याचिका को सही रूप से खारिज किया है

जिसके माध्यम से अपीलार्थी को अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, मुज़फ्फरनगर से मवाना जिला मेरठ में स्थानान्तरित करने के आदेश को चुनौती दी गई।

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि:-

1.1. क्योंकि याचिकाकर्ता एक स्थानांतरणीय पद पर था, इसलिए उच्च न्यायालय ने सही रूप से रिट याचिका खारिज की है, क्योंकि स्थानांतरण सेवा की आवश्यकता और प्रशासनिक निर्णय है। न्यायालयों द्वारा स्थानांतरण सम्बन्धी आदेशों में हस्तक्षेप बहुत ही दुर्लभ मामलों में किया जाना चाहिए। [पैरा 4] [74-ए-बी]

बी. वरधा राव बनाम कर्नाटक राज्य, AIR (1986) SC 1955, शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य, AIR (1991) SC 532, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एन.पी. थॉमस, AIR (1993) SC 1605, और यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एस.एल. अब्बास, AIR (1993) SC 2444, पर आश्रित।

पंजाब राज्य बनाम जोगिंदर सिंह धत्त, AIR (1993) SC 2486, अबनि कांत राय बनाम उड़ीसा राज्य, (1995) Supp. 4 SCC 169, राजेंद्र राव बनाम भारत सरकार, [1993] 1 SCC 148, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम श्री भगवान, [2001] 8 SCC 574, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया बनाम अंजन सन्याल, [2001] 5 SCC 508, विजय पाल सिंह बनाम यूपी राज्य, (1997) 3 ESC 1668 और ओंकारनाथ तिवारी

बनाम चीफ इंजीनियर, माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट, यूपी, लखनऊ, (1997) 3 ESC 1866, को उद्धत किया गया।

1.2. भले ही अपीलकर्ता का यह आरोप है कि उसे विधायक की अनुशंसा पर स्थानान्तरित किया गया, सही है और यह अपने आप में स्थानान्तरण आदेश को दूषित नहीं करता है। विधायक विधायिका में लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अतः विधायिका में लोगों के प्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वह लोगों की शिकायतों को व्यक्त करें और यदि लोगों की शिकायतें किसी के खिलाफ हैं तो कर्मचारियों का स्थानान्तरण करना राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है। आम जनता की शिकायतें और राज्य सरकार के प्रति आमजन ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है कि किसी सांसद या विधायक की अनुशंसा पर किया गया स्थानान्तरण अवैध/दूषित होगा। यह सब किसी व्यक्तिगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस प्रकार, विवादित स्थानांतरण आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रूटि नहीं है। [पैरा 8] [75-E-F]

सिविल अपीलीय न्यायक्षेत्र: सिविल अपील संख्या 4360/2007

उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट पीटीशन संख्या 1110 (S/B) 2005 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 08.07.2005

अपीलार्थी की ओर से - दिनेश कुमार गर्ग और वी.के. बिजू।

प्रतिवादी की ओर से - एस.बी. उपाध्याय, चंदन रमामूर्ति, संदीप सिंह, मनोज कुमार द्वेदी, जी.वेंकटेश राव, शिव मंगल शर्मा, शुब्रा एवं जतिंदर कुमार भाटिया।

न्यायालय का निर्णय मार्कंडेय काट्जू, जे. द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 08.07.2005 माननीय उच्च न्यायालय ईलाहबाद द्वारा पारित रिट पीटीशन सं. 1110 (एस.बी.)/2005

3. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी अपीलकर्ता द्वारा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.06.2005 के माध्यम से कार्यकारी अधिकारी के पद पर नगर पालिका परिषद, मवाना, जिला मेरठ में स्थानान्तरण किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी अपीलकर्ता द्वारा रिट पीटीशन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। चूँकि प्रार्थी एक स्थानांतरणीय पद पर हैं इसलिए हमारे अनुसार हाईकोर्ट ने सही रूप से रिट पेटीशन को खारिज किया है क्योंकि स्थानांतरण सेवा की आवश्यकता है एवं प्रशासनिक निर्णय है। न्यायालयों को स्थानांतरण आदेशों में हस्तक्षेप केवल बहुत ही विशेष मामलों में करना चाहिए। कई निर्णयों में बार बार उल्लेखित किया गया है कि स्थानांतरण

सेवा की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए बी. वरधा राव बनाम कर्नाटक राज्य, AIR (1986) SC 1955, शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य, AIR (1991) SC 532, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एन.पी. थॉमस, AIR (1993) SC 1605, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एस.एल. अब्बास, AIR (1993) SC 2444, आदि।

5. स्टेट ऑफ पंजाब वन जोगिंदर सिंह धत्त, AIR (1993) SC 2486 में न्यायालय ने टिप्पणी की (संदर्भ AIR का पैरा 3) :

> "उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। न्यायालयों द्वारा जनसेवकों के स्थानांतरण के आदेश में हस्तक्षेप करने को लेकर कई बार अपनी अस्वीकृति ज़ाहिर की गई। यह समुचित रूप से नियोक्ता पर निर्भर है कि वह कब और किस समय एक लोक सेवक को वर्तमान पदस्थापन से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करे। सामान्यतः न्यायालयों का स्थानांतरण के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होता। उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का होशियारपुर से संगरूर के स्थानान्तरण आदेश को रद्द करने में घोर गलती की। उच्च न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के क्षेत्राधिकार को विस्तार किया जाना

न्यायसंगत नहीं है विशेषकर वहाँ] जहाँ प्रथमदृष्टया कोई अन्याय कारित नहीं हुआ है।"

6. अबनि कांत राय बनाम ओडिशा राज्य, [1995] Supp. 4 SCC 169; (1996) Lab IC 982, में इस न्यायालय ने टिप्पणी की (संदर्भ पैरा 10) :

"यह निर्धारित कानून है कि अगर न्यायालयों द्वारा स्थानांतरण जो सेवा का हिस्सा है, उसे केवल इस सबूत के रूप में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए कि यह स्पष्ट अनियमित है या दुर्भावना से या किसी घोषित नियम या सिद्धांत के उल्लंघन से प्राधिकृत है जो स्थानांतरण को नियायों द्वारा हस्तक्षेपित करने के लिए आवश्यक है। (देखें NK. सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया)"

7. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत स्थानांतरण की न्यायिक समीक्षा की आयोजनिक सीमा को सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया है राजेंद्र राव बनाम भारत सरकार, [1993] 1 SCC 148; AIR (1993) SC 1236, एनेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम श्री भगवान, [2001] 8 SCC 574; AIR (2001) SC 3309, और स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया बनाम अंजन सन्याल, [2001] 5 SCC 508; AIR (2001) SC 1748। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित उक्त सिद्धांतों का पालन करते हुए,

इलाहाबाद उच्च न्यायिक अदालत ने विजय पाल सिंह बनाम यूपी राज्य में किया है।, (1997) 3 ESC 1668; B (1998) All LJ 70 और ओंकरनाथ तिवारी बनाम मुख्य इंजीनियर, माइनर सिंचाई विभाग, यूपी। लखनऊ, (1997) 3 ESC 1866; (1998)

All LJ 245, इससे प्रतिपादित किया कि उक्त फैसलों में निर्धारित किया गया सिद्धांत है कि एक सेवक की सेवा शर्तों का हिस्सा स्थानांतरण का आदेश है, जिसे सामान्यत: एक कोर्ट के विवेकांशी अधिकार के प्रायोजन में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कोर्ट को नहीं पाता है कि या तो आदेश दुर्भावनापूर्ण है या सेवा नियमों का उल्लंघन है।

8. प्रार्थी के वकील ने दावा किया कि प्रार्थी को मुज़फ़्फ़रनगर से मेरठ जिले के मवाना में तबादला का आदेश एक विधायक की अनुशंसा पर किया गया था। दूसरी ओर, जवाबी हलफनामे में उल्लेखित किया गया है कि प्रार्थी के खिलाफ शिकायतों के कारण ही प्रार्थी को स्थानांतरित किया गया है। हमारे अनुसार, यदि प्रार्थी का दावा सही है कि उसे एक विधायक की अनुशंसा पर स्थानांतरित किया गया था तो यह स्वयं में स्थानांतरण आदेश को अवैध नहीं बनाएगा। आखिरकार विधायिका में लोगों की शिकायतों को व्यक्त करने का कार्य होता है और अगर किसी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो राज्य सरकार के पास ऐसे कर्मचारी को स्थानांतरित करने का अधिकार होता है। हर सांसद या विधायक की अनुशंसा पर हर

स्थानांतरण को अवैध कर दिया जाएगा, ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं हो सकता है। यह सभी मामले की तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वर्तमान मामले में, हम उपयुक्त स्थानांतरण आदेश में कोई अस्थिरता नहीं देखते हैं।

9. यह अपील खारिज की जाती है। लागतों के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी डॉ. रूबीना परवीन अंसारी, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।